सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1.अपील संख्या 48/18 **निर्णय दिनांकः—28.03.2018**

1. दुर्गादेवी पत्नी श्री भीखाराम जाति सोनी निवासी ग्राम बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री धनराज जाति ब्राहमण निवासी 5 बी.एम.आर. तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 82/18

1. दुर्गादेवी पत्नी श्री भीखाराम जाति सोनी निवासी ग्राम बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्ध आदेश दिनांक 02—01—2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपीलें उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 02—01—2018 के विरूद्व जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गैरकानूनी तरीके से एकतरफा तौर पर आवंटन प्रक्रिया व वरियता नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विशेष आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र आवेदन क्रमांक 1965 / 2007 चक 6 बी.एम.आर. के मुरब्बा नम्बर 108 / 57 हेतु आवेदन अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादगत् भूमि पर अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है क्योंकि अपीलांट उसी गांव व चक का निवासी है। अदालत मातहत द्वारा तत्समय आवंटन नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या कैलाशचन्द्र तहसील कोलायत निवासी नहीं होकर बीकानेर का वांशिदा है।

अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर तत्समय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलांट की अपील संख्या 37 / 2010 दिनांक

03—02—2014 को स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र को दिनांक 19—02—2010 को वादगत् भूमि का किया गया आवंटन निरस्त कर प्रकरण पुनः अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश के विपरीत जाकर व रिमाण्ड आदेश की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट व अपीलांट् की वरियता का निर्धारण किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत कर समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। पत्रावली में दिनांक 01—12—2017 की आदेशिका में अंकित किया गया कि कैलाश चन्द्र व पुन्नु खॉ द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अन्य पक्षकारान् ने कई अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 02—01—2018 को पेश हो। इस प्रकार पत्रावली पर ना तो उभय पक्षों की बहस सुनी गई ना ही अपीलांट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। जो स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की अवहेलना है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट के धारण में 5 बीघा से कम भूमि निहित है। इस आश्य की सूचना अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित की गई थी। जबकि रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र के धारण में पूर्व में ही 19 बीघा 13 बिस्वा भूमि निहित है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही अपीलांट से अधिक भूमि निहित है। विद्वान अभिभाषक ने आगे बताया कि अपीलांट व उसका परिवार पीढ़ियों से बरसलपुर में निवास कर रहा है तथा उसके द्वारा आवेदित/वादगत् भूमि भी उसी ग्राम में

है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सबूतों में निर्वाचन सूची वर्ष 1966 ग्राम छीला कश्मीर, निर्वाचन सूची

1995 ग्राम अखुसर, निर्वाचन सूची 1971 बीकानेर, निर्वाचन सूची 1984 कोलायत, निर्वाचन सूची 1988 बीकानेर व निर्वाचन सूची 2003 ग्राम अखूसर प्रस्तुत की है जो भिन्न–भिन्न स्थानों की है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट
द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विरोधाभासी सबूतों के पश्चात् भी अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व एवं आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना में सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए उनके धारण में निहित
भूमि की जॉच करते हुए पुनः वरियता का निर्धारण किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के इस महत्वपूर्ण निर्देश की अवहेलना करते हुए न तो अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया ना ही सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। जबकि प्रकरण में सभी आवेदकों के धारण की भूमि की जॉच करते हुए नियमानुसार वरियता बनाते हुए प्रथम वरियताधारक को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

विशेष आवंटन नियमों में यह निर्धारित है कि हर वर्ष आरक्षित
दर पर दस प्रतिशत की वृद्वि होती है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि के आवंटन से पूर्व इस तरफ कोई गौर नहीं किया गया व वर्ष 2010 की दर पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन वर्ष 2018 में कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक

तरफ तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा आर्थिक लाभ पहुॅचाया गया है व दूसरी तरफ राजहित का नुकसान करते हुए राजस्व हानि की गई है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि के संबंध में दस्तावेजात् प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि

रेस्पोडेन्ट के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है। रेस्पोडेन्ट स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 149/29 में 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि होना अंकित किया गया है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट के धारण में चक 6 बीएमके में 25 बीघा भूमि व चक 3 बीकेएम के मुरब्बा नम्बर 133/24 में 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि विशेष आवंटन में आवंटित होने से व वर्तमान अर्थात उक्त आदेश के माध्यम से प्राप्त 17 बीघा भूमि कुल मिलाकर 85 बीघा से अधिक भूमि रेस्पोडेन्ट के धारण में होती है।

यदि अपीलांट को अदालत मातमहत के समक्ष सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट द्वारा तत्समय ही उक्त दस्तावेजात् अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाते। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष तमाम वस्तुस्थिति उभर कर सामने आ जाती व तत्सयम ही अदालत मातहत द्वारा जॉच करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाता। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट के आवंटन दिनांक 19—02—2010 को बहाल रखने के उद्वेश्य मात्र से एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र की पत्रावली पर कोई निर्णय पारित किया गया। केवल मात्र अपीलांट के आवंटन पत्रावली को रेस्पोडेन्ट की पत्रावली के साथ नत्थी करते हुए अपीलांट के आवंटन पत्रावली पर औपचारिकता पूर्ण कर दी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 03—02—2014 के विरूद्व एकतरफ तो अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर आवंटन

करवाया जाता है व दूसरी तरफ न्यायालय हाजा के आदेश से व्यथित होकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत प्रस्तुत करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय को अपास्त करने की इस्तदुआ की गई। उक्त निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी संख्या 5907/17 दर्ज की

जाकर आज दिनांक तक जैरकार है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट अदालत मातहत के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थिति नहीं हुए है व अदालत मातहत को धोखें में रखते हुए वादगत् भूमि के संबंध में आवंटन आदेश प्राप्त किया गया है। जबकि अपीलांट के धारण में मात्र 5 बीघा भूमि निहित है। इस प्रकार अपीलांट सिलिंग सीमा से कम भूमि धारक होने के कारण वादगत् भूमि को प्रथम वरियता से प्राप्त करने का अधिकारी था व है।

अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को बिना सूचना दिये व बिना सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलांट के पीठ पीढे आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त रकबे के आवंटन की अपीलांट की प्रथम वरीयता बनती थी। आवंटन नियमों में जिसकी प्रथम वरीयता बनती हो उसे ही आवंटन किया जाना चाहिए। परन्तु अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विरूद्व जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया जो आवंटन नियमों के विरूद्व होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 03–02–2014 को अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया कि वे सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना में तीनों पक्षों को जरिये नोटिस तलब करते हुए पत्रावली दिनांक 16—01—2017 को पेशी में लेते हुए दिनांक 31—10—2017 निर्धारित की गई। अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की पालना में दिनांक 31—10—2017 को अपीलांट की तरफ से श्री उमाशंकर व्यास बतौर अभिभाषक अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आये। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा पत्रावली में दिनांक 09—11—2017 निर्धारित की गई। दिनांक 09—11—2017 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा सबूत प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया व पत्रावली में दिनांक 01—12—2017 आगामी पेशी निर्धारित की गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 01—12—2017 को भी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अन्य अवसर प्रदान नहीं करते हुए पत्रावली को वास्ते निर्णय दिनांक 02—01—2018 रखी गई। इस प्रकार अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत के समक्ष उसे सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त
अवसर प्राप्त नहीं हुआ है स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत
द्वारा अपीलांट को सबूत व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूल रूप से राजस्थान का निवासी है व आवंटन नियमों में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि उसे उसी ग्राम का निवासी होना अपरिहार्य है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा आवंटन नियमों की गलत व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

—8—

जहॉ तक अपीलांट का कथन कि रेस्पोडेन्ट के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि अर्थात 85 बीघा भूमि निहित है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी, म्यूटेशन आदि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में 85 बीघा भूमि निहित है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के हक में जो आवंटन बताये गये है वे आज दिनांक को अस्तित्व में नहीं है ना ही रेस्पोडेन्ट के हक में कोई आवंटन आदेश आज दिनांक तक जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में 85 बीघा भूमि निहित है स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की जॉच करने के उपरान्त पाया गया कि रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र के धारण में चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 148/29 में 19.12 बीघा कमाण्ड भूमि निहित है, रेस्पोडेन्ट रिपोर्ट अनुसार सद्भावी काश्तकार है व ग्राम बरसलपुर का कदीमी मूल निवासी है तथा भूमि आवंटन की पात्रता रखता है।

इसी प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि
की जॉच करने के उपरान्त पाया गया कि अपीलांट के धारण में दुर्गादेवी के पति भीखाराम के नाम चक 4 आर.एम. ए के मुरब्बा नम्बर 197/8 में 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 198/01 में 6 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 197/8 में 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 198/01 में 6 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 198/9 में 5 बीघा कुल 13 बीघा कमाण्ड एवं 2 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 15 बीघा भूमि गैरखातेदारी भूमि है। इस प्रकार अपीलांट दुर्गादेवी के धारण में कुल शपथ पत्र अनुसार 6 हिस्सेदारान अनुसार 5 बीघा
भूमि आती है जबकि अपीलांट के आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में मात्र 2.10 बीघा भूमि धारण में होने का कथन किया है। अपीलांट दुर्गादेवी द्वारा तथ्य को छिपाकर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा इस कारण से अपीलांट को भूमि आवंटन का पात्र नहीं माना गया है।

—9—

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में आगे बताया कि जहॉ तक न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 03—02—2014 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी किये जाने का प्रश्न है, उक्त निगरानी से प्रकरण की मैरिट
पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश प्रसारित नहीं किया गया है ना ही अदालत मातहत की कार्यवाही को स्टोप किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत उनके समक्ष जैरकार अपील में निर्णय करने हेतु स्वतन्त्र था।

अदालत मातहत द्वारा प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03—02—2014 के अनुसरण में तमाम कार्यवाही करते हुए

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि आवंटन का पात्र मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर का निर्णय दिनांक 19—02—2010 को यथावत बहाल रखा गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आवंटित भूमि चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/57 में 17 बीघा भूमि की एवज में कुल राशि 180416/— की 20 प्रतिशत राशि रूपये 36083 जरिये चालान संख्या 103 दिनांक 23—04—2010 को खजानाराज में जमा करवा चुका है। इस प्रकार आवंटन की तमाम औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट व अपीलांट के प्रार्थना पत्रों पर तुलनात्मक विशलेषण करते हुए आवेदन के साथ में सभी आवश्यक दस्तावेज मूल निवासी प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट आदि प्रस्तुत कर सभी औपचारिकाएँ पूर्ण करने पर रेस्पोडेन्ट की सर्वोच्य प्राथमिकता मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से प्रथम श्रेणी के आवेदक के आधार पर

नियमानुसार वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में वादगत् भूमि चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/57 में 17 बीघा भूमि दिनांक 19—02—2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशचन्द्र को बतौर विशेष आवंटन में आवंटित की गई थी। अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 19—02—2010 के विरूद्व तत्कालीन न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03—02—2014 को अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 19—02—2010 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(2) अदालत मातहत द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 16–10–2017 को पत्रावली पुनः सुनवाई पर ली गई। पत्रावली में दिनांक 01–12–2017 की आदेशिका में अंकित किया गया कि कैलाश चन्द्र व पुन्नु खॉ द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अन्य पक्षकारान् ने कई अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 02–01–2018 को पेश हो। इस प्रकार पत्रावली पर ना तो अपीलांट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है ना ही पत्रावली पर उभय पक्षों की कोई बहस सुनी गई। जो स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की अवहेलना है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि का विवेचन करते हुए अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र के धारण में चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 148/29 में 19.12 बीघा कमाण्ड भूमि निहित है, रेस्पोडेन्ट रिपोर्ट अनुसार सद्भावी काश्तकार है व मतदाता सूची वर्ष 1966 ग्राम छीलां कश्मीर, 1984, 1988, 1995, 2003 तथा सरपंच ग्राम पंचायत बरसलपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है व ग्राम बरसलपुर का कदीमी मूल निवासी है तथा भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब रेस्पोडेन्ट स्वयं द्वारा विभिन्न मतदाता सूची अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तथा अदालत मातहत द्वारा स्वयं रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र को ग्राम बरसलपुर का कदीमी निवासी बताया है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट के आवंटन को बहाल किये जाने से पूर्व रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र के मूलनिवासी होने के तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है।

(4) प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अदालत मातहत को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की वास्तविक जॉच की जानी

अपरिहार्य थी। जैसा की न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश में भी अभिलिखित था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण में चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 148/29 में 19.12 बीघा कमाण्ड भूमि होना माना गया है इसी प्रकार अपीलांट के धारण में नोशनल शेयर के तहत 5 बीघा भूमि मानी गई है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उसके द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र में मात्र 2.10 बीघा भूमि होने का कथन किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जबकि दौराने बहस विद्वान अभिभाषक द्वारा अवगत कराया गया है कि रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र के धारण में अपने प्रार्थना पत्र में चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 149/29 में 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि होना

अंकित किया गया है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट के धारण में चक 6 बीएमके में 25 बीघा भूमि व चक 3 बीकेएम के मुरब्बा नम्बर 133/24 में 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि विशेष आवंटन में आवंटित होने से व अपीलाधीन आदेश के माध्यम से प्राप्त 17 बीघा भूमि कुल मिलाकर 85 बीघा से अधिक भूमि रेस्पोडेन्ट के धारण में होती है।

उक्त आवंटन एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न समय पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विभिन्न सभाओं में करवाये गये प्रतीत हाते है। प्रत्येक बार आवेदन के समय भूमि आवंटन के पूर्व तथ्य को छिपाया
गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन से ही आवंटिती का भूमि हेतु अधिकार सृजित हो जाता है एवं कब्जा, खातेदारी व अमलदरामद परवर्ती प्रक्रियाएँ है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसके धारण
में भूमि नहीं है। इस प्रकार अधिकार सजृन का तथ्य ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पैतृक सम्पति या उत्तराधिकार में भविष्य में काल्पनिक हिस्से के रूप में प्राप्त भूमि होती है।

किन्तु इस मामलें में स्पष्ट रूप से अप्रार्थी के नाम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किये है और प्रत्येक बार इस तथ्य को छिपा कर आवंटन करा लेना स्पष्ट दृष्टिगोचर है जिसकी जॉच आवश्यक है।

(5) अदालत मातहत द्वारा यदि तत्समय अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाता तो यह स्थिति अदालत मातहत के समक्ष वस्तुस्थिति उभर कर सामने आ जाती व तत्सयम ही अदालत मातहत द्वारा जॉच करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाता। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो स्पष्ट रूप से प्रथम दृटया आवंटन नियमों के विपरीत व रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से पारित किया गया प्रतीत होता है।

(6) प्रस्तुत मामलें में यह भी विचारणीय बिन्दु है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सबूतों में **निर्वाचन सूची वर्ष 1966 ग्राम छीला कश्मीर, निर्वाचन सूची 1995 ग्राम अखुसर, निर्वाचन सूची 1971 बीकानेर, निर्वाचन सूची 1984 कोलायत, निर्वाचन सूची 1988 बीकानेर व निर्वाचन सूची 2003 ग्राम अखूसर प्रस्तुत की है**, जो भिन्न–भिन्न स्थानों की है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति की भिन्न–भिन्न स्थानों व ग्रामों की मतदाता सूची विभिन्न समय पर होना संदिग्ध व जॉच का विषय है, क्योंकि आम तौर पर मतदाता सूची में स्थान व्यक्ति का सामान्य अधिवास या व्यवसाय के लिए निवास आवश्यक शर्त है। अतः उक्त साक्ष्य यह पर्याप्त रूप से सिद्व करता है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपनिवेशन क्षेत्र में विभिन्न समय व स्थानों का मूल निवासी/मतदाता बताकर सुनियोजित रूप से भूमि आवंटन की गरज से तथ्य छिपाकर समय–समय पर विभिन्न भूमि आवंटन कराने का दोषी है, जो जॉच का विषय है।

अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर नहीं करते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विरोधाभासी सबूतों के पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त व अतार्किक व विधि विरूद्व एवं आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य आदेश है।

(7) प्रस्तुत मामलें में न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 03–02–2014

द्वारा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के आवंटन को स्पष्टतया निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि वे सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। **रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्व एक तरफ को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर वादगत् भूमि के आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की गई व दूसरी तरफ न्यायालय हाजा के**

आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 03—02—2014 को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 03—01—2017 की आदेशिका में अंकित किया है कि तहत का रिकार्ड तलब हो। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए थी। किन्तु ऐसा ना कर व आदेशिका की पालना ना करने की दृष्टि से स्वयं प्रार्थी ने इस तथ्य को छिपाते हुए दूसरी तरफ उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन कर आवंटन की कार्यवाही अग्रेषित करते हुए निगरानी के तथ्य को छिपाते हुए जैर आवंटन प्राप्त किया गया है। **इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा दोनों हाथों में लड्डू रखने की कहावत को चरितार्थ किया गया है।** रेस्पोडेन्ट का उक्त कृत्य अपने आप में स्पष्ट है कि वे अदालत मातहत के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं हुए है व अदालत मातहत को धोखें में रख कर व तथ्यों को छिपाते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

(8) प्रकरण में आवंटन नियमों में जिसकी प्रथम वरीयता बनती हो उसे ही आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए, परन्तु अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विरूद्व जाकर, आवंटन नियमों/प्रकिया को ताक पर रखते हुए न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की मंशा के विपरीत जाकर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आराजी जैर का आवंटन किया गया जो आवंटन नियमों के विरूद्व होने से खारिज योग्य है।

(9) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाशचन्द्र को वर्ष 2010 की दर पर ही पुनः वादगत् भूमि का आवंटन वर्ष 2018 में कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक तरफ तो रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 को बेजा आर्थिक लाभ पहुॅचाया गया है व दूसरी तरफ राजहित का नुकसान करते हुए राज्य सरकार को राजस्व हानि की गई है।

(10) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत को रिमाण्ड प्रकरण में कार्यवाही करते हुए रिमाण्ड आदेशों की पालना में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए सभी पक्षों के धारण कर भूमि का तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए विधिअनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिए था। जैसा कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय नहीं किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक तरफ तो न्यायालय हाजा के निर्देशों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है व दूसरी तरफ रिमाण्ड आदेश को निरस्त कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा के समक्ष पर उभर कर सामने आया है कि रेस्पोडेन्ट अदालत मातहत के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुए है।

(11) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट/ रेस्पोडेन्ट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता। तत्पश्चात् दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, सबूतों की जॉच करते हुए उनके धारण में निहित भूमि का तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए प्राथमिकता/वरियता निर्धारित की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष तत्समय ही सही स्थिति उभर कर सामने आ जाती व उसी अनुरूप वादगत् भूमि का आवंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

(12) ऐसी दशा में अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से अतार्किक, अयुक्तियुक्त व राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र

में सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में दी गई प्रक्रियाओं के विपरीत पारित किया गया आवंटन आदेश है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोलायत दिनांक 02—01—2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए, प्रस्तुत सबूतों की जॉच करते हुए, अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि का तुलनात्मक विवरण/वरियता का निर्धारण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर